सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा :.सं .NCST/ATY-892/BR/3/2023-RO-RNC　　　　दिनांक : 06.06.2024

सेवा मे,

1 **श्री राजविंदर सिंह भट्टी**
पुलिस महानिदेशक,
बिहार सरकार,
पुलिस मुख्यालय, सरदार पटेल मार्ग,
पटना, बिहार 800023
Email Id: dgp-bih@nic.in

2 **श्री मुकुल कुमार गुप्ता**
जिला पदाधिकारी,
जिला – सिवान
कार्यालय जिला पदाधिकारी,
सिवान, बिहार - 841226
Email Id: dm-siwan.bih@nic.in

3 **श्री अमितेश कुमार**
पुलिस अधीक्षक
जिला – सिवान
कलेक्ट्रेट, सिवान - 841227 (बिहार)
ई - मेल – sp-siwan-bih@nic.in

विषय: अभ्यावेदिका श्रीमती सहोदरा देवी, पति-जयराम साह, सा०- सैंचानी, थाना- रघुनाथपुर, जिला-सिवान, (बिहार) से प्राप्त अभ्यावेदन "रघुनाथपुर थाना कांड सं०- 271/2022 अन्दर दफा-341, 447, 323, 504,354/34 भा.द.वि. एवं 3 (1)(r)(s) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अत्याचार निवारण अधिनियम के अनुसंधानकर्ता द्वारा अभियुक्तिगणों के मेल वो मिलाप में आकर सही दिशा में अनुसंधान नहीं करने एवं मुदालहम के मेल वो मिलाप वाले गवाहों की गवाही कांड दैनिकी में दर्ज करने के संबंध में एवं 307 भा.द.वि. नहीं लगाने के संबंध में ।

संदर्भ : आयोग के समसंख्यक नोटिस दिनांक 28.01.2023 (प्रतिलिपि संलग्न)

महोदय,

जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ. आशा लकड़ा, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण मे अन्वेषण / जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **11.06.2024 को 11.00** बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

भवदीय

(आर.के. दुबे / R.K. Dubey)
उप निदेशक/ Deputy Director
Email ID : rk.dubey@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्रीमति सहोदरा देवी, पति-जयराम साह, सा०- सैंचानी, थाना- घुनाथपुर, जिला-सिवान, बिहार- 841203
Mob No- 7050288189

NIC for uploading